सत्यमेव जयते

संख्याः 498 /जी0एस0(शिक्षा)/A3-07/2016

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड

देहरादूनः दिनांकः ~~अप्रैल~~, 2022
10 MAY 2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 437 के0यू0/मान्यता/सम्बद्धता/2021 दिनांक 20 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा रिनेसां कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, रामनगर, नैनीताल को बी0एच0एम0 पाठ्यक्रम में 120 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2021–22 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य), की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	रिनेसा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, रामनगर, नैनीताल।	बी0एच0एम0	120 सीट	सत्र 2021–22

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को मध्यनजर सम्बद्धता प्रदान किये जाने के निर्णय से पूर्व छात्र हित में यू0जी0सी0/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 व शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगी।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्याः 498 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-07/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, रिनेसां कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, रामनगर, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।